

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :-47 / 2024

प्रार्थी:-

जुगतसिंह पुत्र मोडसिंह जाति राजपुरोहित निवासी इटवाया तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थी:-

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरुस्ती

उपरिस्थित :-

1. श्री ललित जांगीड अधिवक्ता प्रार्थी

-:: आदेश ::-

दिनांक :- 24.05.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1258 ,1515 व 1552 रकबा क्रमशः 8.2961,11.4364 व 18.9960 हैक्टर भूमि ग्राम इटवाया तहसील सिवाना में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड, आदि में उसका वास्तविक नाम "जुगतसिंह पुत्र मोडसिंह" दर्ज है किन्तु विवादित भूमि खसरा संख्या 1258 के राजस्व रेकर्ड में जुगता पुत्र मोडा तथा खसरा संख्या 1515 व 1552 के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम " जगता पुत्र मोडा" लिख दिया । इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरुस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भू.अ./2024/266 दिनांक 22.05.2024 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने आधार कार्ड,पेन कार्ड,जन-आधार कार्ड आदि प्रस्तुत किये हैं।

दौराने बहस प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम "जुगतसिंह पुत्र मोडसिंह" है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 1258 में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम "जुगता पुत्र मोडा" तथा खसरा संख्या 1515 व 1552 में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम "जगता पुत्र मोडा" लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इन प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।




उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बाडमेर)

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधार कार्ड, पेन-कार्ड व जन-आधार कार्ड आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम "जुगतसिंह पुत्र मोडसिंह" दर्ज है, किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम "जुगता पुत्र मोडा" व "जगता पुत्र मोडा" दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम "जुगतसिंह पुत्र मोडसिंह" होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम इटवाया के खसरा संख्या 1258, 1515 व 1552 रकबा क्रमशः 8.2961, 11.4364 व 18.9960 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम "जुगता पुत्र मोडा" व "जगता पुत्र मोडा" के स्थान पर "जुगतसिंह पुत्र मोडसिंह" दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 24.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



  
(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)  
उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बाडमैरा)